न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2018/00377 (255/2018) 223 आरटीएक्ट

पवन कुमार पुत्र राजपाल जाति जाट निवासी चक हरीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. गोमती पत्नी नन्दराम जाति जाट निवासी वार्ड नं. 4 मटोरिया वाली ढाणी पोस्ट ऑफिस नौरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ राज0।
2. महावीर पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी वार्ड नं. 4 मटोरिया वाली ढाणी पोस्ट ऑफिस नौरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ राज0।
3. कमला पत्नी राजाराम पुत्री नन्दराम जाति जाट निवासी वार्ड नं. 2 कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ।
4. ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ।
5. राजस्थान राजय जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ
6. सरोज पत्नी रामकुमार पुत्र नंदराम जाति जाट निवासी वार्ड नं. 4 मटोरिया वाली ढाणी पोस्ट ऑफिस नौरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ राज0।
7. कविंता पुत्री रामकुमार आयु 14 वर्ष
8. प्रियंका पुत्री रामकुमार आयु 12 वर्ष
9. बरखा पुत्री रामकुमार आयु 10 वर्ष
10. पलक पुत्री रामकुमार आयु 8 वर्ष
11. अभय पुत्र रामकुमार आयु 6 वर्ष

नाबालिग जरिये कुदरती वली माता सराज पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी वार्ड नं. 4 मटोरिया वाली ढाणी, पास्ट ऑफिस, नौरंगदेवसर तहसील व जिला हनुमानगढ

–रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 19.05.2017 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ प्र. सं. 270/2015 बअनवानी सरोज बनाम नन्दराम आदि

श्री प्रदीप पारिक अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री राजेश कुमार अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक:–20.06.2019

1. उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 7 ता 11 ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया। वाद पत्र में वर्णित भूमि में वादीगण 1/4 हिस्सा में से प्रत्येक अपने हिस्सा के हकदार घोषित करने इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने का अनुतोष मांगा एवं वाद पत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित कृषि भूमि को दीगर व्यक्तियों को रहन, बैय व अन्तरित करने से व उक्त कृषि भूम में लगे पेड़ उखाड़नें व कृषि भूमि में मिट्टी उठवाने से निषेध करने का अनुतोष भी मांगा। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय से वाद वादी बरूए सहमति डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की हैं ।
2. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वर्णित कृषि भूमि चक 3 एमडब्ल्यू के खाता संख्या 19/18 के प. नं. 157/333 मु. नं. 13 की 1.733 है. भूमि नंदराम के नाम दर्ज थी जिसमें अपीलाण्ट द्वारा नंदराम के जीवनकाल में जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा तत्कालीन जमाबंदी में 18/23 में से प. नं. 157/333 की 0.165 है. भूमि खरीद की हुई है जिस तथ्य को प्रतिवादीगणों द्वारा जानबूझकर छुपाया जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करवाया है। विचारण न्यायलय के समक्ष नंदराम द्वारा अपने जीवनकाल में किये गये बैयनामे का कहीं भी हवाला नहीं दिया है। रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर अपीलाण्ट का प्रश्नगत भूमि में हक व हिस्सा बनता है। इसलिए अपीलाण्ट एक प्रभावित पक्षकार है जिसे वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावे। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में वाद में पक्षकार नही होने के कारण उसे अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान नहीं था। अतः डिले कन्डोन की जावे अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।
4. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 व 7 ता 11 ने जरिये अधीवक्ता अपील में राजीनामा प्रस्तुत किया एवं राजीनामा के अनुसार अपील स्वीकार करने का कथन किया।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एव पत्रावली का अवलोकन किया।
6. अधीनस्थ न्यायलय में घोषणा का दावा हाल रेस्पोडेण्ट संख्या 6 ता 11 की और से हाल रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 5 के विरूद्ध पेश किया था जो पारिवारिक संपत्ति मानते

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हुए सहमति के आधार पर डिक्री किया गया था। अपीलाण्ट ने अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि वादग्रस्त भूमि में से जरिये रजिस्टर्ड डीड पूर्व में ही भूमि क्रय की जा चुकी थी। जिसके संबंध में दावे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है और सम्पूर्ण भूमि के संबंध में दावा डिक्री करवा लिया। अपील पेश होने पर रेस्पोडेण्ट की और से राजीनामा पेश कर पूर्व में किये गये बेचान को सही बताया और उसके संबंध में राजीनामा भी पेश किया है जिसे तस्दीक कर शामिल मिसल किया गया है। अतः उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए राजीनामा एवं पूर्व में बेचान के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए वादग्रस्त भूमि के संबंध में जारी की गई डिक्री उचित नही है इसें निरस्त किया जाना न्यायोचित हैं एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एव विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.05.2017 निरस्त किया जाता है एव प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाता है कि पूर्व में हुए बेचान व राजीनामा के तथ्यों को दृष्टीगत रखते हुए पुनः नियमानुसार परीक्षण कर गुणावगुण पर प्रकरण का निस्तारण करे। पत्रावली निर्णय शुमारी व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

20/6/19

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official